

पत्र सूचना शाखा  
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०

राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक 2017 पर अपनी सहमति प्रदान की

लखनऊ: 4 अप्रैल, 2018

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों से पारित 'उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक 2017' पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है।

'उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक 2017' द्वारा पूर्व में अधिनियमित 'उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक 1965' की धारा 29 एवं 31 सहित अन्य धाराओं में कतिपय संशोधन किये गये हैं। धारा 29 में संशोधन कर व्यवस्था की गयी है कि सहकारी समितियों की प्रबंध समिति के सदस्य कार्यकाल के अवसान के पूर्व यदि निर्वाचित नहीं किये जाते हैं या निर्वाचित नहीं किये जा सके तो ऐसी प्रबंध समिति का अस्तित्व अपनी अवधि के अवसान के पश्चात समाप्त हो जायेगा। सहकारी समितियों के प्रबंधन के लिए निबन्धक द्वारा एक अंतरिम प्रबंध समिति नियुक्त की जायेगी जो अपने गठन के छः माह अथवा प्रबंध समिति के निर्वाचन के पश्चात् समाप्त हो जायेगी। अंतरिम प्रबंध समिति समय-समय पर निबंधक द्वारा दिये गये निदेशों के अधीन रहते हुए प्रबंध समिति की शक्तियों का प्रयोग करेगी और कृत्यों का निष्पादन करेगी। धारा 31 में संशोधन कर समिति के कर्मचारियों की शक्तियाँ, कर्तव्य और दायित्वों जिसमें स्थानान्तरण, निलम्बन और अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित करना है, से संबंधित उपबंधों को जोड़ा गया है।

ज्ञातव्य है कि राज्यपाल ने पूर्व में 7 दिसम्बर, 2017 एवं 25 जनवरी, 2018 को उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश 2017 पर अपनी सहमति प्रदान की गयी थी। इस संबंध में विधेयक विधान मण्डल से पारित होकर अधिनियमित हुआ है।

-----

अंजुम/ललित/राजभवन (134/6)